तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2025	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित वादी द्वारा माननीय सहायक कलक्टर बालोतरा में रा.का.अ. की धारा 88,188 के तहत दिनांक 11.05.2004 को वाद पत्र दायर किया जो अनवान संख्या 80/2004 शम्भुसिंह बनाम बलवंता के नाम से दायर किया गया जिसे माननीय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 11.05.2006 को गुणावगुणो के आधार पर निर्णित किया गया,तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि के सम्बन्धित में वादी ने माननीय सहायक कलक्टर सिवाना में रा.का.अ. की धारा 88,188 के तहत वाद दायर किया माननीय सहायक कलक्टर सिवाना में दिनांक 27.12.2011 को अनवान संख्या 90/2011 अनवान शम्भूसिंह बनाम दला दायर किया गया उक्त वाद पत्र दिनांक 29.04.2013 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया गया। अज अदालत में वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित वाद रेस ज्यूटिकेडा से प्रभावित होने से खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि विधिनुसार वाद को गुणावगुणो के आधार पर तनकीयात कायम तथा साक्ष्य के पश्चात किया जाना चाहिए लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित वाद रा.का.अ. की धारा 88,188 के तहत प्रस्तुत वाद, वाद संख्या 80/2004 अनवान शम्भुसिंह बनाम बलवंता दिनांक 09.06.2006 को गुणावगुणो के आधार पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा खारिज कर दिया गया था तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित वाद संख्या 90/2011 शम्भुसिंह बनाम दला रा.का.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो की तामील हुए
	अ. की धारा 88,188 क तहत माननीय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा दिनांक 29.04.2013 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत रेस ज्यूटिडकेटा के तहत प्रभावित होने के कारण खारिज कर दिया गया है , शम्भूसिंह के कायम मुकाम द्वारा विवादित भूमि से सम्बन्धित दिनांक 08.06.2022 को माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना में रा.का.अ. की धारा 88,188 के तहत पुनः वाद दायर किया गया है। चूंकि उक्त भूमि से सम्बन्धित वाद पत्र संख्या 90/2011 को अज अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत दिनाक 29.04.2013 को धारा 11 रेस ज्यूडिकेटा से प्रभावित होने के कारण खारिज किया गया। वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित वादी द्वारा विवादित भूमि का पुनः वादपत्र अज न्यायालय में पेश किया गया है जवकि इसी विवादित भूमि से सम्बन्धित वाद अज न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2013 को खारिज कर दिया गया, वादी द्वारा पुनः विवादित भूमि का वादपत्र इसी न्यायालय में पेश किया जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी द्वारा साफ हाथो से वाद पत्र पेश नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 90/2011 अज अदालत द्वारा रेस ज्यूटिकेडा से प्रभावित होने के कारण खारिज कर दिये जाने से पुनः उसी विवादित भूमि का वादपत्र अज अदालत में पेश किया जाना रेस ज्यूडिकेटा से प्रभावित होना पाया जाता है। लिहाजा वादीगण का वाद रेस ज्यूडिकेडा से प्रभावित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व

बइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 65/2022

वादीः–

भंवरसिंह पुत्र कोजुसिंह जाति राजपूत निवासी गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. शम्भूसिंह पुत्र कोजुसिंह के वारिसानः–
   1/1 भाकरसिंह पुत्र शम्भुसिंह जाति राजपूत
2. स्व. शैतानसिंह पुत्र कोजुसिंह के वारिसानः–
   2/1 बाबूसिंह पुत्र शैतानसिंह
   2/2 मोहनकंवर पत्नी शैतानसिंह
3. दीपसिंह पुत्र कोजुसिंह जाति राजपूत
4. आम्बसिंह पुत्र कोजुसिंह जाति राजपूंत
5. माफसिंह पुत्र कोजुसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. बलवन्ता पुत्र मुकना जाति दरोगा
7. मूला पुत्र मुकना जाति दरोगा
8. स्व. दला पुत्र मुकना के वारिसान
   8/1 भंवरलाल पुत्र दलाराम जाति दरोगा
   8/2 गौतम पुत्र दलाराम जाति दरोगा
   निवासीगण गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : – 13.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री बशीर हुसैन अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे[illegible] 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र अस्वीकार किया [illegible]कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज [illegible] 13.10.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना